भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2785 का उत्तर

रोहा-मडगांव खंड का अति-उपयोग

2785. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कोंकण रेलवे का रोहा-मडगांव खंड लगभग 168 प्रतिशत की अत्यधिक क्षमता उपयोग पर संचालित हो रहा है, जिसके कारण वर्ष भर भारी प्रतीक्षा सूची बनी रहती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य रेलवे को इस मार्ग पर प्रमुख यात्री ट्रेनों के अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक तत्काल कोच वृद्धि (संभावित रूप से प्रतिदिन 45 कोच और 3691 सीटें जोड़ने) के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मांग और आपूर्ति के इस भारी असंतुलन को दूर करने और रेलवे बोर्ड द्वारा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के.आर.सी.एल.) के समन्वय से आरंभ किए गए इन लागत प्रभावी अवसंरचना के समाधानों को लागू करने के लिए विशिष्ट समय-बद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) की स्थापना 1990 में पांच शेयरधारकों अर्थात् रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार के साथ की गई थी। कोंकण रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के थोकुर तक फैली हुई है।

कोंकण रेल मार्ग के रोहा-मडगांव खंड में 145% की औसत लाइन क्षमता उपयोगिता दर्ज की गई। भारतीय रेल पर, मांग का स्वरूप पूरे वर्ष एकसमान नहीं रहता है और यह कम व्यस्त अवधि और व्यस्त अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न होता है। व्यस्त अवधि के दौरान, विशेष रूप से लोकप्रिय मार्गों पर रेलगाड़ियों में भीड़ अधिक रहती है जबकि कम व्यस्त अवधि के दौरान और कम लोकप्रिय मार्गों पर, उप इष्टतम उपयोगिता होती है।

नई रेलगाड़ियों की शुरुआत के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले 10 वर्षों के दौरान रोहा से मडगांव के बीच कोंकण रेलवे मार्ग पर 08 क्रॉसिंग स्टेशन अर्थात् सापे-वामने, कलंबणी, कड़वई, वेरवली, खारेपाटण, आचिर्णे, इंदापुर और गोरेगांव रोड तथा 12 अतिरिक्त लूप लाइनें जैसे विन्हेरे, आंजणी, सावर्डा, आडवली, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सावंतवाड़ी रोड (2), करंजाडी, मडगांव और चिपलून का भी निर्माण किया गया है।

कोंकण रेलवे के 739 कि.मी. क्षेत्राधिकार में से, रोहा-वीर और मडगांव-माजोर्डा खंडों के बीच लगभग 55 कि.मी. के दोहरीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इस मार्ग की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, चिन्हित खंडों (लगभग 263 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए व्यवहार्यता सर्वे तैयार करने का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।

वर्तमान में, कोंकण रेलवे पर 57 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर रेलगाड़ियाँ परिचालित की जा रही हैं। अधिकांश मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। कोंकण रेलवे पर परिचालित रेलगाड़ियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गाड़ी संख्या और नाम
1.	10103/10104 मांडवी एक्सप्रेस
2.	10105/10106 दिवा - सावंतवाड़ी एक्सप्रेस
3.	10107/10108 मडगाँव - मंगलूरु मेमू एक्सप्रेस

4.	10109/10110 मडगाँव - कारवार एक्सप्रेस
5.	10115/10116 बांद्रा (टी) - मडगाँव एक्सप्रेस
6.	10215/10216 मडगाँव - एरणाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस
7.	11003/11004 तुतारी एक्सप्रेस
8.	11097/11098 पूर्णा एक्सप्रेस
9.	11099/11100 लोकमान्य तिलक (टी) - मडगाँव एक्सप्रेस
10.	11203/11204 नागपुर - मडगाँव एक्सप्रेस
11.	12051/12052 जन शताब्दी एक्सप्रेस
12.	12133/12134 छत्रपती शिवाजी महाराज (टी) - मंगलूरु जंक्शन एक्सप्रेस
13.	12201/12202 लोकमान्य तिलक (टी) - कोच्चुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस
14.	12217/12218 केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
15.	12223/12224 एरणाकुलम जंक्शन - लोकमान्य तिलक (टी) दुरंतो एक्सप्रेस
16.	12283/12284 हज़रत निजामुद्दीन - एरणाकुलम जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस
17.	12431/12432 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
18.	12449/12450 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
19.	12483/12484 कोच्चुवेली - अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
20.	12617/12618 मंगला लक्षदीप एक्सप्रेस
21.	12619/12620 मत्स्यगन्धा एक्सप्रेस
22.	12741/12742 वास्कों द गामा - पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस
23.	12789/12790 काचीगुडा - कुमटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस
24.	12977/12978 मरुसगार सुपरफास्ट एक्सप्रेस
25.	16311/16312 श्री गंगानगर - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस
26.	16333/16334 वेरावल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस
27.	16335/16336 गांधीधाम - नागरकोविल एक्सप्रेस

28.	16337/16338 ओखा- एरणाकुलम एक्सप्रेस
29.	16345/16346 नेत्रावती एक्सप्रेस
30.	16515/16516 कारवार - यशवंतपुर एक्सप्रेस
31.	16585/16586 सर एम. विश्वेश्वरय्या (टी) - मुर्डेश्वर एक्सप्रेस
32.	16595/16596 पंचनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
33.	19057/19058 सूरत - मंगलूरु जंक्शन एक्सप्रेस
34.	19259/19260 भावनगर (टी) - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस
35.	19577/19578 तिरुनेलवेली - जामनगर एक्सप्रेस
36.	20111/20112 कोंकणकन्या एक्सप्रेस
37.	20645/20646 मडगाँव - मंगलूरु सेंट्रल वंदे भारत
38.	20909/20910 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
39.	20923/20924 गांधी धाम - तिरुनेलवेली हमसफ़र एक्सप्रेस
40.	20931/20932 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ - इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
41.	22113/22114 लोकमान्य तिलक (टी) - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
42.	22115/22116 लोकमान्य तिलक (टी) - करमाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
43.	22119/22120 छत्रपती शिवाजी महाराज (टी) - मडगाँव तेजस एक्सप्रेस
44.	22149/22150 एरणाकुलम - पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस
45.	22229/22230 छत्रपती शिवाजी महाराज (टी) - मडगाँव वंदे भारत एक्सप्रेस
46.	22413/22414 मडगाँव - हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
47.	22475/22476 हिसार - कोयम्बत्तूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
48.	22629/22630 लोकमान्य तिलक (टी) - तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
49.	22633/22634 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस
50.	22653/22654 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस
51.	22655/22656 एरणाकुलम - हज़रत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस

52.	22659/22660 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ - योग नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस
53.	22907/22908 मडगाँव - हापा सुपरफास्ट एक्सप्रेस
54.	50103/50104 दिवा - रत्नागिरी पैसेंजर
55.	50107/50108 सावंतवाड़ी - मडगाँव पैसेंजर
56.	70101/70102 मडगाँव - कारवार पैसेंजर (मेमू)
57.	56615/56616 मडगाँव - मंगलूरु पैसेंजर

इसके अतिरिक्त, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न त्योहारों, गर्मियों की छुट्टियों और लंबे सप्ताहांतों के दौरान 381 गणपति, 249 ग्रीष्मकालीन, 148 शीतकालीन और 1366 अन्य विशेष रेलगाड़ियाँ परिचालित की गई थीं।

भारतीय रेल पर अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (साधारण और शयनयान)

भारतीय रेल मांग स्वरूप की निरंतर निगरानी करती है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई रेलगाड़ियां शुरू करके, मौजूदा रेलगाड़ियों के विस्तार और फेरों में वृद्धि करने का लगातार प्रयास करती है। यात्रियों के लिए सीटों में वृद्धि करने हेतु मौजूदा रेलगाड़ियों की क्षमता अस्थायी और स्थायी दोनों आधार पर बढ़ाई जाती हैं।

भारतीय रेल ने अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

केवल वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही, लंबी दूरी की विभिन्न रेलगाड़ियों में कम से कम 4 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1250 साधारण डिब्बों को जोड़ा गया। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 के दौरान, 160 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित लगभग 870 सवारी डिब्बों का उपयोग रेलगाड़ियों की क्षमता में स्थायी संवर्धन के लिए किया गया है। इसमें कोंकण रेलवे मार्ग पर परिचालित रेलगाड़ियां भी शामिल हैं।

निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों की यात्रा संबंधी मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने 17,000 अवातानुकूलित सवारी डिब्बों (साधारण/शयनयान) के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

भारतीय रेल पर, अवातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रतिशत लगभग 70% है, जबकि वातानुकूलित सीटों के लगभग 22% की तुलना में अवातानुकूलित सीटों का प्रतिशत लगभग 78% है। विवरण निम्नानुसार है:

सारणी 1: सवारी डिब्बों का वितरण :

डिब्बों का प्रकार	डिब्बों की संख्या	प्रतिशत
अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (साधारण/शयनयान)	~62,000	~70%
वातानुकूलित सवारी डिब्बे	~27,000	~30%
कुल सवारी डिब्बे	~89,000	100%

सारणी 2: सीटों का वितरण:

सीटों का प्रकार	सीटों की संख्या	प्रतिशत
अवातानुकूलित सीट	~54 लाख	~78%
वातानुकूलित सीट	~15 लाख	~22%
कुल सीट	~69 लाख	100%

प्रतीक्षा सूची पैटर्न की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। अतिरिक्त मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, विशेष रेलगाड़ियां चलाना, नई रेलगाड़ियां शुरू करना, मौजूदा रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि/विस्तार करना, मौजूदा रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना आदि जैसे परिचालनिक व्यवहार्यता के अध्यधीन विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। इसके

अलावा, उस रेलगाड़ी में उपलब्ध श्रेणी की क्षमता के आधार पर प्रतीक्षा सूची की सीमाओं को भी युक्तिसंगत बनाया गया है।

रेलगाड़ियों के संवर्धन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन, माननीय संसद सदस्यों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा की गई मांगों के आधार पर रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों और मंडल कार्यालयों आदि सहित विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।
